अपील सूचना अधिकार संख्या 155/2020 (GCMS 2020/00275) (आईपीओ नं. 48एफ/442130) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु .... वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अति. जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

01.03.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुए। मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.10.2020 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे सूचना देने से इंकार कर दिया इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना दिलवाने हेतु अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.10.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थीः

1. माह सितम्बर 2020 से 05.10.2020 तक जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में दर्ज व प्राप्त आवेदनों के आवेदन व पता की सूचना व दिनांक की सूचना।
2. दिनांक 08.10.2020 को जिन आवेदकों को सुनवाई हेतु जन अभाव अभियोग निराकरण सतर्कता समिति में आहुत किया गया या उनके नाम व पता व उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन की दिनांक सूचना।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:45:00 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 13.10.2020 प्राप्त दिनांक 16.10.2020 के सन्दर्भ में चाही गई इस कार्यालय की सतर्कता शाखा से सम्बन्धित सूचना इक्सठ पृष्ठ की है जो रूपये प्रति पेज की दर से एक सौ बाईस रूपये का पोस्टल ऑर्डर जमा कर प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना आवश्यकता है तो किसी भी कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन कर सूचना प्राप्त कर सकते है।

-sd-
सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ
जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगनर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है कि **अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार राजकोष में राशि जमा कर सूचनाएं प्राप्त कर सकता है।** इसलिए प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगनर द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया गया है, जो सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप आवश्कता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः **उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की** प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:45:00 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 01.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर